


Information Regarding Seed Licence

<p>Description for Scheme</p> <ul style="list-style-type: none"> • If a dealer wants to carry on business of seed in one district, then should apply in prescribed format to the Deputy Director Agriculture (Ext.) of concerned district. • To obtain license for proposed business locations in more than one district under one agricultural division, apply to concerned Joint Director Agriculture (ext.) • To obtain license for proposed business locations in more than one division, apply to Joint Director Agriculture (Input), Jaipur (Raj.) 	<p>योजना का उद्देश्य</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि कोई व्यवहारी बीज का व्यवहार एक जिले में करना चाहता है, तो जिले के उप निदेशक कृषि (वि०) के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। • एक कृषि खण्ड में एक से अधिक जिलों में प्रस्तावित कारोबार स्थानों के लिए अनुज्ञप्तियों अभिप्राप्त की जानी हो तो खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि को आवेदन करें। • एक से अधिक कृषि खण्डों में प्रस्तावित कारोबार स्थानों के लिए अनुज्ञप्तियों अभिप्राप्त की जानी हो तो संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) जयपुर, राजस्थान को आवेदन करें।
<p style="text-align: center;">Eligibility</p> <p>Any person who wants to do business.</p>	<p>पात्रता: जो भी बीज व्यवसाय करने का इच्छुक हो।</p>
<p>Supporting Documents to be provided along with application form</p> <p>A- For New Application</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Application Form 'A' in two copies 2. For responsibility of quality of seed Affidavit on Non-Judicial stamp of Rs.10 attested by Notary public along with ID proof. 3. Map of Shop/godown and certificate of ownership or rent 4. Source of seed for sale 5. If firm is producer, certificate of registration of concerned state/Rajasthan state seed agency 6. If firm/company is pvt.ltd. then copy of Memorandum of Articles of concerned company 7. Seed license fee Rs. 1000/- (deposit online) 8. List of dealers (only for seed producing agencies/companies) 9. Authorization Certificate by the company/firm for responsible person. 	<p>आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</p> <p>अ-नवीन आवेदन हेतु :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन प्रतीक "क" 2 प्रतियों में। 2. बीज गुणवत्ता की जिम्मेदारी हेतु रू० 10/- का नोन ज्यूडिशियल शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित मय पहचान का दस्तावेज। 3. दुकान /गोदाम का नक्शा एव दुकान/गोदाम के स्वामित्व अथवा किरायेनामे का प्रमाण पत्र। 4. विक्रय हेतु बीज प्राप्ति के स्रोत। 5. फर्म प्रोड्यूसर है तो संबंधित राज्य/राजस्थान राज्य बीज ऐजेन्सी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। 6. फर्म/कम्पनी प्रा० लि० है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स की प्रति। 7. बीज अनुज्ञा पत्र का शुल्क 1000/-रू० www.ssdg.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन जमा करावे। 8. डीलर्स की सूची (केवल बीज उत्पादक संस्था/कम्पनियों के लिए)। 9. फर्म/कंपनी द्वारा जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत किये जाने का प्रमाण पत्र



B- Renewal of license

1. Application form of renewal 'c' (two copies)
2. License renewal fee of Rs. 500/- deposited before expiry date of license.
3. Affidavit on Non-Judicial stamp of Rs. 10 for responsibility of quality of seed attested by notary along with Id proof.
4. Map of Shop/godown and certificate of ownership or rent
5. If the application is submitted within one month from the date of expiry, the license may be renewed on payment of additional fee of rupees five hundred.

C- Amendment in license

Amendment in license will be made on receipt of application together with a fee of Rs. 10 for every amendment such as change in shop, addition of godown, change in name & address, issue of duplicate license.

(All documents are mandatory)

Subsidy

- Nil

ब-अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण :

1. नवीनीकरण आवेदन प्रारूप "ग" दो प्रतियाँ।
2. नवीनीकरण शुल्क रू. 500/- अनुज्ञा पत्र की वैधता अवधि में जमा।
3. बीज गुणवत्ता की जिम्मेदारी हेतु शपथ पत्र 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित मय पहचान का दस्तावेज।
4. दुकान /गोदाम का नक्शा एव दुकान/गोदाम के स्वामित्व अथवा किरायेनामे का प्रमाण पत्र।
5. निर्धारित तिथि के बाद नवीनीकरण एक माह की अवधि में कराने पर अतिरिक्त शुल्क रू0 500/- मय प्रार्थना पत्र के आवेदन करने पर।

स-अनुज्ञा पत्र में संशोधन :

बीज अनुज्ञा पत्र में दुकान परिवर्तन, गोदाम जुड़वाने, नाम पते बदलने एवं ड्रूप्लीकेट प्रति जारी कराने हेतु प्रत्येक, संशोधन का शुल्क रू0 10/- ऑनलाईन जमा कराकर मय आवेदन के प्रस्तुत करने पर संशोधन किया जावेगा।

(उक्त समस्त दस्तावेज अनिवार्य)

कोई अनुदान देय नहीं

